(181)

R. 113-III/96

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

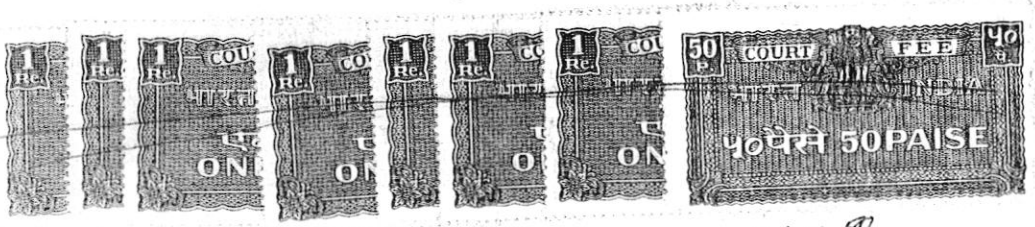

1- रूद्रसहाय सिंह तनय अनंत सिंह
2- गैवीनाथ सिंह तनय अकवर सिंह,
3- जगन्नाथ सिंह तनय अकवर सिंह,
4- कौसल सिंह
5- नागेन्द्र सिंह
6- राधा देवी
7- दुर्गादेवी
8- मानवती देवी
9- सत्यवती
10- सरोज सिंह

पिता स्वार्गीय श्री रविनाथ सिंह,

11- राधादेवी पत्नी स्वा० श्री रविनाथ सिंह
12- चन्द्रराज सिंह तनय रामराजसिंह,

सभी निवासी -ग्राम - रायपुर कर्चुलियान,
तहसील- रायपुर कर्चुलियान जिला-रीवा (म०प्र०)

------------निगरानीकर्त्ता

बनाम

मृत्युंजयदेव सिंह तनय बाल्मीक सिंह निवासी-ग्राम- रायपुर कर्चुलियान तह०- रायपुर कर्चुलियान जिला-रीवा (म०प्र०) ------------गैरनिगरानीकर्त्ता

Presented by Shri A. K. Chaturvedi
Advocate/Applicant 24-10-96

Supdt.
Commissioner's office
Rewa Division
Rewa (M. P.)

निगरानी विरूद्ध अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के निगरानी प्र०क्र०- 71/निग०93-94 आदेश दिनांक - 10-10-96 ·

निगरानी अंतर्गत धारा - 50 म०प्र०भू० रा० सं० 1959 ई० ·

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य निम्न हैं :-

यह कि आराजी नं० 1278/0·50, 1279/0·50, 1280/1·04, 1317/0·22, 1318/0·18, 1319/0·16, 1320/0·47, 1327/0·12, 1326/0·09, 1320/1·79, कुल किता 10 जुमला रकवा 6·87 ए०, स्थित ग्राम रायपुर कर्चुलियान -

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 113–तीन/1996 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/8/17	आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 71/1993–94 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10–10–96 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर एंव निगरानी मेमो के तथ्यों पर विचार करने तथा उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि ग्राम रायपुर कर्चुलिया की आराजी को पैत्रिक संपत्ति बताते हुये संहिता की धारा 178 के अंतर्गत विचारण न्यायालय में बटवारे का आवेदन दिया गया। तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान ने प्रकरण कमांक 37 अ–27/90–91 में पारित आदेष दिनांक 22–10–92 से बटवारे का आदेश दिया। अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान/गुढ के यहां अपील होने पर आदेश दिनांक 31–3–93 से तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ है जिसके विरूद्व अपर कलेक्टर रीवा के यहॉ निगरानी प्रस्तुत हुई जो विचाराधीन है। इसी भूमि के संबंध में सिविल कोर्ट सें मामला 29–1–34 को निराकृत है एंव अपर कलेक्टर को विचाराधीन निगरानी में निर्णय लेना है कि क्या सिविल कोर्ट के आदेश का अमल राजस्व अभिलेख किया जा सकता है अथवा नहीं ? जिसके कारण अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने निगरानी प्रकरण कमांक 71/1993–94 में आदेश दिनांक 10–10–96 से निर्णय लिया है कि अपर कलेक्टर	

न्यायालय में यदि कोई विपरीत निर्णय लिया जाता है तब पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमावाजी बढ़ेगी, इसलिये अपर आयुक्त ने अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों मे हस्तक्षेप नहीं किया है, जिसके कारण अपर आयुक्त व्दारा लिया गया निर्णय दोष पूर्ण नहीं माना जा सकता।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 71/1993–94 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10–10–96 उचित प्रतीत होता है जिसके अधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य